न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्याः— 112/2024
जीसीएमएस नंबरः— 2024/311

प्रार्थीः—

1. खजानसिंह पुत्र श्री मूलाराम जाति माली टाकों का बास, मगरा पूंजला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

—::आदेश::—

...... दिनांकः— 02/05/25

उपस्थितिः— 1. श्री सज्जनसिंह मेलावास अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चैनपुरा, तह. व जिला जोधपुर का खसरा सं. 326 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है, जो प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। पूर्व में उक्त खसरे की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिताजी श्री मूलाराम के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। तद्उपरांत श्री मूलाराम के स्वर्गवास पश्चात् उपरोक्त खसरे की भूमि का विरासत का नामा. सं. 219 प्रार्थी एवं अन्य वारिसान के नाम से स्वीकृत करते समय उसमें प्रार्थी का नाम त्रुटिवश सज्जनसिंह लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम खजान सिंह है। मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते, पानी—बिजली कनेक्शन आदि दस्तावेज में प्रार्थी का नाम खजान सिंह ही है। अतः ग्राम चैनपुरा तह. जोधपुर के खसरा सं. 326 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि की वर्तमान जमाबंदी की दूरूस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम सज्जनसिंह की जगह खजानसिंह दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल मिशल किया गया। तहसीलदार जोधपुर ने रिपोर्ट में कथन किया कि ग्राम चैनपुरा जमाबंदी 2081 में सहखातेदार के रूप में सज्जनसिंह पुत्र मूलाराम दर्ज है। सज्जनसिंह सहखातेदार के रूप में जरिए नामा. सं. 219 स्वीकृत 23.08.1999 मूलाराम पि गणेश के फौतेदगी से दर्ज हुआ था। मूलाराम पि. गणेशराम के ग्राम चैनपुरा के खसरा सं. 329, 332, 333, 330, 331 में फौतेदगी नामा. सं. 213 स्वीकृत जरिए तहसीलदार जोधपुर में सहखातेदार के रूप में वारिसान खजानसिंह पि. मूलाराम दर्ज किया था। प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं पैन कार्ड में खजानसिंह पि. मूलाराम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस एवं बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर मनन किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम चैनपुरा तह. जोधपुर के खसरा सं. 326 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि की वर्तमान जमाबंदी की दूरुस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम सज्जनसिंह पुत्र मूलाराम की जगह खजानसिंह पुत्र मूलाराम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 02/05/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर